



पंचदश

# बिहार विधान-सभा

तृतीय सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

बर्ध-1

27 भाषाई, 1933 (ब०)  
सोमवार, तिथि  
18 जुलाई, 2011 (ई०)  
प्रश्नों की कुल संख्या—02

(1) गृह विभाग	..	..	01
(2) विद्य विभाग	..	..	01
			<hr/>
		कुल भाग ..	02
			<hr/>

## दोषी पर कार्रवाई

1. डॉ० अच्युतानन्द— दैनिक समाचार पत्र के दिनांक 22 जून, 2011 के अंक में छपी खबर "ट्रैफिक पोस्ट की आड़ में करोड़ों का घोटाला" के आलोक में क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि 10 जनवरी, 2006 को पटना की एक विज्ञापन कंपनी "क्राफ्ट" और ट्रैफिक एस०पी० के बीच पटना के डाकबंगला चौक, हड़ताली मोड़, ललित भवन मोड़ सहित 14 स्थानों पर ट्रैफिक पोस्ट बनाने और उसपर विज्ञापन लगाने का करार हुआ था;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त कम्पनी द्वारा करार की शर्तों का उल्लंघन कर अवैध ढंग से करोड़ों रुपये की कमाई की गयी और ट्रैफिक स्लोगनों का प्रयोग ट्रैफिक पोस्टों पर नहीं किया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त कंपनी से अतिरिक्त अवैध कमाई की वसूली करते हुए दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## अनुशंसा लागू करना

2. श्री मंजित कुमार सिंह— क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि छोटे वेतन आयोग के अनुशंसाओं को लागू करने में हुए त्रुटियों के निराकरण के लिए श्री विजय राघवन, वित्तीय सलाहकार के अध्यक्षता में निराकरण समिति का गठन किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि श्री विजय राघवन समिति ने बिहार में सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को गेच्युटी अन्य लाभों के लागू होने की तिथि 1 अप्रैल, 2007 से लागू होने की अनुशंसा किया था, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनुशंसाओं को लागू करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

पटना:

दिनांक 18 जुलाई, 2011 (ई०),

गिरीश झा,

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान-सभा ।